13.6.18 पत्रावली समक्ष लोक अदालत आमीयान में अरबब शेखर केन्द्र श्री.पी. पांचाल कक्षा में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार N.T. (मोती) उप.। विपक्षी अनुपस्थित। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रस्तावित रकबे की किस्म गै.मु. गोचर दर्ज है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी में होने के कारण किस्म परिवर्तित नहीं की जा सकती है लेकिन ग्राम पंचायत को पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि को मय स्थान कदीमी रास्ते के आमजन को आने जाने हेतु नहीं रोका जावे। प्रकरण में कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण समाप्त लोक अदालत के [illegible] कारण खारिज किया जाता है।
आदेश मजमे आम सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]